कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)

//निविदा का समय विस्तार सूचना//

निविदा समय विस्तार/2024 **रायपुर, दिनांक 12/12/2024**

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, रायपुर के जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालय, गरियाबंद/देवभोग/के न्यायालय कक्षों एवं न्यायाधीश विश्राम कक्षों में संस्थापन हेतु ए.सी. क्रय किये जाने के संबंध में **निविदा सूचना क्रमांक 4578/2024 दिनांक 07.11.2024 जारी** किया गया था, जिसकी अंतिम दिनांक 09.12.2024 निर्धारित किया गया था, जिसमें अपरिहार्य कारणों से निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि में आंशिक संशोधन करते हुए **दिनांक 31.12.2024 के शाम 4:00 बजे** तक निर्धारित किया जाता है। अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

S.No.	Description	Unit
01	Approved make **2.0 ton split** type Air Conditioner 3 Star Unit with cooling unit **(copper coil)** and condensing unit (copper coil) including 5 years compressor warranty and standard length of upto 3 metre of cpper piping with insulation,Steplizer etc complete as per specification. **(Make-Blue Star/Voltas/Daikin/L.G./Samsung)** and **Installation** of aforesaid A.C. Unit, cooling unit on wall inside and condensing unit non out side wall/celling/floor at desired locations with existing standard length of copper piping with insulation and good quality MS frame etc. complete as per specification (Extra length of copper piping shall be paid extra on per meter basis)	53
02	Approved make **1.5 ton split** type Air Conditioner 3 Star unit with cooling unit **(Copper coil)** and condensing unit (copper coil) including 5 years compressor warranty and standard length of upto 3 metre of cpper piping with insulation, Steplizer etc complete as per specification. **(Make-Blue Star/Voltas/Daikin/L.G./Samsung)** **and** **Installation** of aforesaid A.C. Unit, cooling unit on wall inside and condensing unit non out side wall/celling/floor at desired locations with existing standard length of Copper piping with insulation and good quality MS frame etc. complete as per specification (Extra length of copper piping shall be paid extra on per meter basis)	25

अतः ब्लू स्टार/वोल्टास/डाईकिन/एल.जी./सैमसंग कम्पनियों के निर्माताओं/अधिकृत विक्रेताओं/अधिकृत प्रतिनिधि से उपरोक्त विशिष्टियों वाले एयर कंडीशन प्रदाय किये जाने हेतु **मुहरबंद** निविदाएं निम्नांकित शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है :-

निविदा की शर्तें एवं नियम निम्नानुसार है :-

01. निविदा में उपरोक्त क्रय किये जाने वाले प्रत्येक ए.सी. की कीमत एवं इंस्टालेशन की राशि **जी.एस.टी. सहित** कुल आवश्यक यूनिट की राशि के योग सहित प्रस्तावित किया जावे। परिवहन, पैकेजिंग या हेंडलिंग के मद में कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा। इंस्टालेशन एवं

उसमें लगने वाले लागत पर विचार हेतु निविदाकार फर्म यदि चाहे तो इंस्टालेशन वाले स्थान का अवलोकन कर सकते हैं और निविदा में निम्न प्रोफार्मानुसार राशि उल्लेखित किया जाना आवश्यक है :–

क.	विवरण	राशि प्रतियूनिट	जी.एस.टी.	योग
1	संपूर्ण ए.सी. यूनिट 2.0 टन			
2	संपूर्ण ए.सी. यूनिट 1.5 टन			
3	इंस्टालेशन चार्ज			
4	अतिरिक्त कापर पाईपिंग प्रतिमीटर की दर से			
			कुल योग	

क.	विवरण	आवश्यक संख्या
1	2	3
1	ए.सी. यूनिट 2.0 टन, इंस्टालेशन चार्ज एवं अतिरिक्त पाईपिंग सहित एक संपूर्ण यूनिट का खर्च जी.एस.टी. सहित	53
2	ए.सी. यूनिट 1.5 टन इंस्टालेशन चार्ज एवं अतिरिक्त पाईपिंग सहित एक संपूर्ण यूनिट का खर्च जी.एस.टी. सहित	25

(नोटः– बचत बजट आबंटन की स्थिति में ए.सी. क्रय की संख्या में वृद्धि की जा सकती है)

02. निविदाकार फर्म को प्रदाय की जाने वाली सामग्री का वारंटी पीरियड में संपूर्ण देखभाल एवं मरम्मत किये जाने हेतु लिखित वचनबंध (Undertaking) निष्पादित किया जाना होगा। न्यूनतम दर पर अधिकतम अवधि के लिये वारंटी देने वाले कंपनी/फर्म को प्राथमिकता दी जा सकेगी।

03. निविदाकार फर्म का कार्यालय/सर्विस सेंटर जिला रायपुर अथवा समीपवर्ती जिले में संचालित हो। (निविदाकार फर्म निविदा प्रपत्र में अपने कार्यालय का नाम, प्रोपराईटर का नाम, ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर आवश्यक रूप से अंकित करेंगे।)

04. प्रत्येक निविदाकार को अमानत राशि (EMD) के रूप में तिरालिस हजार पचास रूपये (43,050/–रूपये) अदा किया जाना होगा। यह अमानत राशि सफल निविदाकार के अतिरिक्त अन्य निविदाकार को 15 दिवस में वापसी योग्य होगी।

05. सफल निविदाकार को सुरक्षानिधि के रूप में एक लाख उनतीस हजार एक सौ पचास रूपये (1,29,150/–रूपये) क्रय आदेश जारी किये जाने के पूर्व अदा किया जाना होगा।

06. यह अमानत राशि/सुरक्षा निधि नगद जमा नहीं लिया जावेगा। यह राशि चालान के माध्यंम से लेखा शीर्ष ''8443 सिविल जमा राशिया'' अथवा ''103 प्रतिभूति जमा'' में जमा कर चालान की मूल पावती प्रस्तुत किया जावेगा। अथवा भारतीय स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भी राशि जमा की जा सकेगी।

07. यह अमानत राशि/सुरक्षा निधि सामग्री प्रदाय किये जाने एवं उसके संस्थापन उपरांत कार्य संतोषप्रद पाये जाने के उपरांत वापसी योग्य होगी।

08. सफल निविदाकर फर्म को क्रय आदेश जारी किये जाने के उपरांत 07 कार्य दिवस के भीतर सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक होगा। इंस्टालेशन, परिवहन, पेकेजिंग या हेंडलिंग के मद में निविदात्मक दर के अतिरिक्त कोई राशि देयक नहीं होगा एवं जिला

न्यायालय रायपुर के अतिरिक्त बाह्य न्यायालय गरियाबंद/देवभोग के ए.सी. संस्थापन का परिवहन व्यय पृथक से इस कार्यालय द्वारा देय नहीं होगा।

09. निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी एंड टी विभाग से अधिकृत कोरियर के माध्यम से अथवा जिला न्यायालय नये भवन परिसर के मुख्य द्वार के समीप रखे गये टेंडर बॉक्स में व्यक्तिगत रूप से निर्धारित अंतिम तिथि के अंतिम समय तक डाला जा सकता है, जो यथाशीघ्र खोला जावेगा।

10. बंद लिफाफे/रजिस्टर्ड लिफाफे के उपर **"ए.सी. हेतु निविदा प्रस्ताव"** स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक है।

11. निविदा आवेदन–पत्र व निविदा की शर्ते कार्यालय के वेबसाईट **raipur.dcourts.gov.in** से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते है।

12. वाणिज्य कर विभाग/जी.एस.टी. का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

13. प्रदाय की गई सामग्री निर्धारित मानक स्तर एवं निविदा सूचना में दर्शित प्रकार की होना आवश्यक होगी। यदि प्रदाय की गई सामग्री में किसी प्रकार की कमी/खराबी पायी जाती है तो कार्यालय द्वारा उक्त सामग्री को किसी भी समय लौटाई जा सकेगी तथा निविदाकार को खराब सामग्री के स्थान पर दूसरी नयी सामग्री प्रदाय करना होगा।

14. संबंधित फर्म/संस्थान द्वारा सामग्री विक्रय करने के अधिकृत होने के संबंध में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

15. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा प्रपत्रों, ईमेल से प्रेषित निविदा अथवा खुले लिफाफे में प्रेषित निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी। **निविदा प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि, दिनांक 31.12.2024 को शाम 4.00 बजे तक निर्धारित समय के दूसरे दिन दिनांक 01.01.2025 के सुबह 10.30 बजे क्रय समिति के सदस्यों एवं निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति तथा उनके उपस्थित नहीं होने की दशा में उनकी अनुपस्थिति में निविदा खोली जावेगी।**

16. किसी भी निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी निविदा प्रस्ताव में किसी शर्त का उल्लंघन होने अथवा आदेश का पालन नहीं किये जाने पर या अन्य कोई अनियमितता पाये जाने पर उक्त निविदा प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का अंतिम अधिकार माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, रायपुर एवं क्रय समिति को होगा।

12.12.2024

अध्यक्ष,
क्रय समिति,
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ.ग.)

/home/ubuntu/Desktop/Purchase of AC/MEMO.doc